

फर्द अहकाम


(नियम 26)

राज अदालत उपखण्ड अधिकारी अलवर

मुकाम अलवर

शरत चन्द बनाम बलवन्त सिंह वगैरा

किस्म मुकदमा प्रा0 212 पत्र किस्म मुकदमा नं0सन्

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
7.07.2022	<p>वकील वादी ने मूल वाद के साथ प्रा.पत्र 212 राज.काश्त.अधि.पेश किया। प्रा.पत्र दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी। प्रार्थी का प्रथम दृष्टया केस, बखूबी साबित होता है।</p> <p>अतः अप्रार्थीगण को आगामी तारीख पेशी दिनांक 23.08.2022 तक जर्जे अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 916 रकबा 14 ऐयर, 917 रकबा 26 ऐयर वाके ग्राम किशनपुर तहसील अलवर के विवादित आराजी के मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। तलवी अप्रार्थीगण जर्जे रजिस्टर्ड नोटिस जारी हो। पत्रावली दिनांक 25.08.2022 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड अधिकारी अलवर </p> <p> 25/8/22 वकील प्रार्थी 39/ अप्रार्थीगण की तलवी पेशी दिनांक 15/9/22 को पेश हो। तलवी पेशी की अवधि 05/12/22 है। </p>	

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

15/9/22
पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपखण्ड अधिकारी अन्य प्रशासक कार्यों में व्यस्त है। दिनांक 11/12/22 को पेश हो।

11/12/22
पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपखण्ड अधिकारी अन्य प्रशासक कार्यों में व्यस्त है। दिनांक 11/12/22 को पेश हो।

16-6-23

पत्रावली पेश हुई। समय पर उपो
पत्रावली प्रतिकारी अथवा प्रसाठ कार्या
में लगी है। दिनांक... 15-6-23
की पेश हो।

रीडर

15-6-23

Not Press

पत्रावली
पत्रावली
(पत्रावली)

पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित वकील
वादी ने ओरिजिनल पर हस्ताक्षर करते हुये
निवेदन किया कि वाद को प्रेस नोट करना अभी
मनन करने के बाद चाहते हैं वकील वादी का
सुना गया काफी मनन करने के बाद उपरोक्त
निवेदन स्वीकार करते हुये वाद नोट प्रेस में
इसी स्तर पर खारिज किया जाता है पत्रावली
याकिल दफतर होवे।

अध्यापक प्रतिकारी

अध्यापक